संख्या ३२

सत्यमेव जयते

बिहार विधान सभा वादवृत्त

सरकारी रिपोर्ट

बुधवार, तिथि १४ मार्च, १९५१।

The Bihar Legislative Assembly Debates

OFFICIAL REPORT

Wednesday, the 14th March, 1951.

अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, बिहार,
पटना,
१९५२

[मूल्य—६ आने।]
[Price—Annas 6.]

बिहार विधान सभा वादवृत्त।

सोमवार, तिथि २६ मार्च, १९५१।

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान सभा का कार्य विवरण।

सभा का अधिवेशन पटने के सभा सदन में सोमवार तिथि २६ मार्च, १९५१ को संध्या समय ५ बजे माननीय अध्यक्ष श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्मा के सभापतित्व में हुआ।

तारांकित-प्रश्नोत्तर।

STARRED QUESTIONS AND ANSWERS.

REPORT OF THE BIHAR HARIJAN ENQUIRY COMMITTEE.

*727. Dr. RAGHUNANDAN PRASAD : Will the Hon'ble Minister in charge Welfare Department be pleased to state—

(*a*) whether it is a fact that the report of the Bihar Harijan Enquiry Committee held under the Chairmanship of Late Bapa A. V. Thakkar is now ready and has been sent to the Government for necessary action ;

(*b*) if the answer to clause (*a*) be in the affirmative whether Government propose to distribute copies of the same to all the Scheduled Castes M. L. A.'s.

The Hon'ble Shri JAGLAL CHAUDHURY : (*a*) The report of the Bihar Harijan Enquiry Committee is not yet ready.

(*b*) The question does not arise.

हरिजनों के लिए पदों का रक्षण।

*७२८। डा० रघुनन्दन प्रसाद—क्या माननीय कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(क) क्या यह सही है कि गृह मंत्रणालय, भारत सरकार नयी दिल्ली ने एक प्रस्ताव जारी किया है कि हरिजनों के लिए १२ १/३ प्रतिशत के बदले १६ २/३ प्रतिशत पद रक्षित रखे जायं;

(ख) यदि खंड (क) का उत्तर 'हां' में है तो क्या सरकार उसकी एक प्रति मेज पर रखने का विचार रखती है?

माननीय डा० श्रीकृष्ण सिंह—(क) और (ख) भारत सरकार के गृह मंत्रणालय ने तारीख १३ सितम्बर, १९५० की प्रस्ताव सं० ४२-२१-४९ एन० जी० एस० में विनिहित किया है कि अखिल भारतीय आधार पर खुली प्रतियोगिता अर्थात् संघी लोकसेवा आयोग

माननीय अध्यक्ष—शान्ति-शान्ति। आप का जो दूसरा कट-मोशन है, उस पर और बात कहियेगा। इसके बारे में सरकार का क्या जवाब है, इसे पहले सुन लीजिये।

माननीय डा० अनुग्रह नारायण सिंह—अध्यक्ष महोदय, मिनिस्टरों की मोटर के लिए जो टायर ऐंड ट्यूब का इन्तजाम मुनासिब समझा गया था, ऐज ए मेजर ऑफ इकॉनामी वही इन्तजाम पालियामेंटरी सेक्रेटरी की मोटर के संबंध में भी एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था। मिनिस्टरों के लिए जो प्रिविलेज था उसे विथड्राव कर लिया गया है और इसके बाद पालियामेंटरी सेक्रेटरी के लिए जो इन्तजाम है वह आप ही आप खतम हो जायेगा। हम समझते हैं कि अब इसके बारे में कुछ कहने की गुंजाइश नहीं रही और अमीन साहब अपना कट-मोशन वापस ले लेंगे।

श्री सैयद अमीन अहमद—जनाब सदर, जवाब सुनने के बाद में अपना कट-मोशन वापस लेने के लिये सभा की इजाजत चाहता हूं।

प्रस्ताव सभा की अनुमति से वापस ले लिया गया।

Shri SAIYID AMIN AHMAD : Sir, I beg to move :

That the provision of Rs. 78,403 for "Ministers—Parliamentary Secretaries—Contingencies—Non-contract" be reduced by Re. 1.

(To discuss wasteful expenditure.)

जनाब सदर, जो रुपया अभी मांगा जा रहा है वह किस काम के लिए है, इसे सुन लीजिये।

"As the old cars of all the Parliamentary Secretaries, except Parliamentary Secretary, Judicial, which were supplied to them in February, 1949, were not giving satisfactory service to them, a new car has been provided to each of them in replacement of their old cars at a total cost of Rs. 78,403 as detailed below."

हम समझते हैं कि हमलोगों की मंजूरी के कबल यह रुपया खर्च भी कर दिया गया होगा। जनाब सदर, हम पहले ही कह चुके हैं कि मिनिस्टर के काम में और पालियामेंटरी सेक्रेटरी के काम में कोई कम्पैरीजन नहीं है। मिनिस्टर का काम टूर करना है और तमाम सूबे के लोगों की क्या हालत है उसे आंखों देखना है। लेकिन पालियामेंटरी सेक्रेटरी का काम इस लेजिस्लेचर के काम में मिनिस्टर को मदद देने के सिवाय और कुछ नहीं है। इस हाउस के काम में मिनिस्टर की मदद करने के लिए ही पालियामेंटरी सेक्रेटरी बहाल किये गये हैं।

उनका सरोकार एडमिनीस्ट्रेशन से नहीं है। अगर वे टूर करते हैं तो यह उनके लिये जरूरी नहीं है। वे किस किस्म का टूर करते हैं इसकी खबर भी हमलोगों को नहीं है। जनाब सदर, आपके इतने मिनिस्टर साहबान मौजूद हैं, आपके अफसरान मौजूद हैं तो

फिर भी अगर टूरींग ड्यूटी पालियामेंटरी सेक्रेटरी करें तो ठीक नहीं है। आपके पालियामेंटरी सेक्रेटरी कोई ऑफिशियल स्टाफ भी नहीं है। ये किसी आफिस का इन्सपेक्शन भी नहीं कर सकते हैं। एडमिनीस्ट्रेशन के अन्दर जब कोई जगह इनकी नहीं है तो ऐसी हालत में यह सवाल पैदा होता है कि जो रुपया उनको गाड़ी देने के लिये खर्च किया जा रहा है वह जरूरी है या गैर जरूरी काम के लिये रुपया दिया जा रहा है? मैं कहता हूं कि यह रुपया फजूल बर्बाद किया जा रहा है। जनाब सदर, आप इस पर गौर करेंगे तो पता चलेगा कि पोलिटीकल के पालियामेंटरी सेक्रेटरी की गाड़ी के लिये १२,१८८ रुपया, रेवन्यू डिपार्टमेंट के पालियामेंटरी सेक्रेटरी की गाड़ी के लिये १२,१८७ रुपया है। डेवेल्पमेंट के पालियामेंटरी सेक्रेटरी की गाड़ी के लिये ५,५९२ रुपया है। तो सवाल यह पैदा होता है कि अगर ५,५९२ रुपये में गाड़ी ली जा सकती थी जैसा कि एडुकेशन और डेवेलपमेंट के पालियामेंटरी सेक्रेटरीज के लिये है तो फिर बकिये पालियामेंटरी सेक्रेटरी के लिये १२,१८८ रु० और ९,६९२ रु० की क्यों ली गई। इसमें दो गाड़ी हो सकती थी और इसमें कुछ रुपया बच भी सकता था। यह एक पॉयंटेड क्वेश्चन है और हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट इसको साफ करने की कोशिश करेगी।

जनाब सदर, मेरे दोस्त श्री अब्दुल अहद मुहम्मद नूर जिनके लिये ५,५९२ रुपये की गाड़ी है अपनी टूरींग डायरी इस हाउस में रक्खें। सभी पालियामेंटरी सेक्रेटरीज से उनकी टूरींग डायरी मांगी जाय। इससे पता चल जायेगा कि पब्लिक को और स्टेट को इनके टूर से क्या फायदा हुआ है। कबल इसके कि यह डिमाण्ड मंजूर किया जाय हम चाहते हैं कि इस हाउस की तशफ्फी के लिये जो रुपया आपने पालियामेंटरी सेक्रेटरी को गाड़ी देने के लिये खर्च किया उस रुपये से स्टेट को क्या फायदा हुआ साफ किया जाय।

जनाब सदर, हमलोग यह कहते हैं कि पालियामेंटरी सेक्रेटरीज को कोई एडमिनीस्ट्रेटीव काम नहीं है, जिसके लिये उनको गाड़ी दी गयी है। सिर्फ यह कहा जा सकता है कि वो जेल का इन्सपेक्शन करते हैं और कुछ ऐसी दरखास्तें हैं जिनकी वे जांच करते हैं। मैं आप से पूछता हूं कि इस काम को लोकल ऑफिसर कर सकते हैं। इसके लिये गाड़ी देना जरूरी नहीं है और यह सब काम फजूल है। जनाब सदर, मेरे दोस्त यह कहें कि पालियामेंटरी सेक्रेटरीज को गाड़ी की जरूरत है तो मैं कहूंगा कि ऐसे काम को करने के लिये हरेक डिस्ट्रीक्ट में स्टाफ कार मौजूद है और वे स्टाफ कार का इस्तेमाल कर सकते हैं। उस स्टाफ कार को हरेक पब्लिक सर्वेंट इस्तेमाल कर सकता है और उसके इस्तेमाल के लिये वह गाड़ी हमेशा तैयार रहती है। इस गाड़ी को इस्तेमाल करने की सिर्फ एक ही शर्त है कि वे सफर भत्ता नहीं लें और सफर भत्ता लेने पर सरकार में जमा कर देना पड़ता है। वे सिर्फ दैनिक भत्ता (डेली एलावयन्स) ले सकते हैं। मेरे दोस्त कहेंगे कि यह रकम बहुत कम है। मैं कहूंगा कि थोड़ा ही थोड़ा करके एक बहुत बड़ी रकम हो जाती है और बड़ी रकम को घटाते-घटाते एक छोटी रकम की जा सकती है। मैं आप से कहूंगा

कि आप एक पैसा भी जो खर्च करें वह वाजिब हो। अभी मेरे दोस्त सप्लाई मिनिस्टर साहब ने पाउन्ड, शिलिंग और पेंस का हवाला दिया है। मैं कहता हूं "Take care of your pennies and pounds will take care of themselves."

आप अपने पेनीज को संभालिए, पाउंड को छोड़िए—वह अपनी हिफाजत कर लेगा। इसलिए यह कहना कि ८० हजार की कोई बात नहीं है वाजिब नहीं है। एतराज असूल पर होता है।

जनाब सदर, एक दूसरा सवाल पैदा होता है रिप्लेसमेंट का। हमारे मिनिस्टर साहबान ने अपने लिए यह कायदा बनाया है कि हर दो बरस पर उनके लिए एक नई गाड़ी की जरूरत है। और शायद पालियामेंटरी सेक्रेटरीज के लिए भी यही असूल रखा गया है। इस डिमांड से यह साफ जाहिर नहीं है; लेकिन यह लिखा हुवा है—

"As the old cars of all the Parliamentary Secretaries, except Parliyamentary Secretary, Judicial which were supplied to them in February 1949.........."

इससे साफ जाहिर है कि पालियामेंटरी सेक्रेटरीज को २ बरस से भी पहले नई गाड़ी मिलती है। फरवरी १९४९ में गाड़ी उनको दी गई और अभी हमलोग मार्च १९५१ में हैं; और कबल इसके कि डिमांड यहां पेश हो गाड़ी बदल दी गई। यानी जिस तरह मिनिस्टर साहबान की गाड़ियां दो वर्ष में बदल दी जाती हैं उसी तरह शायद पालिया-मेंटरी सेक्रेटरीज की गाड़ियां दो वर्ष से भी पहले बदल दी जाती हैं। मेरे ख्याल में जनाब सदर, हुकुमत से यह पूछना मुनासिब है कि कितनी मील ये गाड़ियां चल चुकी हैं कि इनको बदला जा रहा है। जब मेरा कट-मोशन गवर्नमेंट के पास जा चुका है तो गवर्नमेंट ने जरूर जांच की होगी कि हरेक गाड़ी कितनी मील चल चुकी है कि ऐसा फैसला किया गया कि वह गाड़ी अब बेकार हो गई। जनाब सदर यह कहना बिल्कुल गलत है कि दो वर्ष के बाद गाड़ी बेकार हो जाती है अगर बदलना ही था तो हद से हद जितने पार्ट पुर्जे खराब हो गये थे उनको बदल दिया जाता। हद से हद आप यही कर सकते हैं कि आप पूरी ओवरहॉलिंग कर दें ताकि उसको नई लाइफ मिल जाय। हद से हद आप उसकी इनजिन बदल दें। जब हर साल आप ट्यूब और टायर देते ही हैं तो फिर गाड़ी को दो वर्ष के अन्दर खराब होने की क्या वजह है? कम खर्च में नये पार्टस को मंगा कर ओल्ड पार्ट्स को रिप्लेस कर सकते हैं। जहां रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट्स की जरूरत है वहां मैक्सिमम नीड यही है that certain parts should be replaced मगर आप तो पूरी गाड़ी ही बदल देते हैं।

जनाब सदर, अगर मेरे दोस्त का यही असूल है तब तो वह कहेंगे कि पालियामेंटरी सेक्रेटरीज का मकान जिसमें वह रहते हैं हर दो वर्ष में बदल दिया जाय क्योंकि मकान खराब हो गया इसलिये कि मेरे दोस्त रिपेयर जानते ही नहीं। पी० डब्ल्यू० डी० के मिनीस्टर साहब खुश होते हैं कि पी० डब्ल्यू० डी० का काम बढ़ जायगा।

माननीय श्री अब्दुल क्यूम अंसारी—वहां रिपेयर होता है जनाब।

श्री सैयद अमीन अहमद—रिपेयर और रिप्लेसमेंट में क्या फर्क है मेरे दोस्त जरूर जानते हैं।

जनाब सदर, मेरा सबसे बड़ा एतराज यही है कि इकॉनामी की बात तो यहा करते हैं लेकिन जहां इकॉनामी दिखलाने का मौका आता है वहां भूल जाते हैं और उसकी एक छोटी मिसाल यह है कि जहां थोड़े खर्च से काम चलता वहां मरम्मत नहीं करके बारह हजार की नई गाड़ी देते हैं। हुकूमत इकॉनामी का नाम क्यों लेती है जब इकॉनामी का कोई जिन्दा मिसाल इसने आज तक नहीं पेश की और फजूल खर्ची का बदतरीन मिसाल जो हो सकती थी उसको इस हाउस के सामने आज रखा?

एक तीसरा सवाल में यह पेश करना चाहता हूं कि इन गाड़ियों को क्या किया गया? क्या उनको बेच दिया गया? अगर उनको दो वर्ष के बाद बेच देते और इनके सेल प्रोसीड को नयी कार की कीमत में से घटा देते तो वह एक बात असूल की होती...।

माननीय अध्यक्ष—बजट के तरीके से वह तो रिसीट साइड में दिखलाया गया होगा। लेकिन आप यह पूछ सकते हैं।

श्री सैयद अमीन अहमद—खैर तो में यह भी पूछ सकता हूं अपने दोस्त से कि पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज की गाड़ियां कितने-कितने रुपये में बिकी और नेट लॉस गवर्नमेंट को कितना हुआ।

जनाब सदर, एक और पॉयंट है। मेरे दोस्त जान रहे हैं कि जेनरल ईलेक्शन बहुत नजदीक है और जेनरल ईलेक्शन के लिये लेजिस्लेटिव असेम्बली और लेजिस्लेटिव कौंसिल को उनको डिसॉल्व करना होगा और असेम्बली को जिस दिन डिॉल्व किया उसी दिन ऑटोमेटिकली उनका डिसोल्युशन्स तो नहीं.........।

श्री अबुल अहद मुहम्मद नूर—आप गलत समझ रहे हैं। आपके साथ-साथ वह भी यहां रहेंगे।

श्री सैयद अमीन अहमद—मिनिस्टर साहबान आफिस में रहेंगे लेकिन आप एम० एल० ए० बाकी नहीं रहेंगे और जो एम० एल० ए० नहीं रहेंगे वह पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी नहीं रहेंगे। एक जमाना हुआ कि आप कानून कुछ जानते थे मगर अरसा दराज हो गया इसलिये आप उसको भूल गये हैं।

असेम्बली जब डिसॉल्व होने वाली है और उसके बाद पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज जब ऑटोमेटिकली खतम हो जाने वाले हैं तो क्या जरूरत थी कि ऑन दी इव ऑफ दी डिसोल्युशन ऑफ दी हाउस उन्हें नई गाड़ी खरीद कर दी जाय? अगर इलेक्शन नवम्बर में होने वाला है तो शायद इस सेसन के बाद दूसरा सेसन नहीं हो और अगर हो भी तो एक महीना या डेढ़ महीना से ज्यादा का नहीं होगा तो में क्या गवर्नमेंट से यह पूछ सकता हूं कि पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज की लाइफ जब चंद महीने की थी तो उनको नई गाड़ी क्यों दी गई? और एक सप्लीमेंटरी क्वेश्चन है—क्या ये गाड़ियां इस लिये दी गई हैं कि उनसे इलेक्शन में काम लिया जाय?

अब जब चन्द महीनों में यह हाउस डिसॉल्व हो जायेगा तो ऐसे वक्त में आप पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज को क्यों गाड़ियां दे रहे हैं ? क्या आप इन गाड़ियों को इलेक्शन के काम में लायेंगे ? आप इलेक्शन का काम इन स्टेट कारस् से नहीं ले सकते ऐसा करना बिल्कुल प्रिंसीपल के खेलाफ होगा और अगर आप ऐसा करेंगे तो आप यकीन रखें कि इलेक्शन पेटिशन्स आपके खेलाफ फाइल किये जायेंगे। पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज से आप सिर्फ यही काम लेते हैं कि वे आपकी पार्टी का प्रोपगंडा करते हैं, क्या इसी काम के लिये उन्हें स्टेट कारस् चाहिये।

सरकार बिना सोचे समझे खर्च करती है, यह भी नहीं सोचती कि जिन पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज को वे गाड़ी दे रहे हैं वे कितने दिनों तक पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज रहेंगे। ये चन्द महीने रहने वाले पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज को सरकार क्यों गाड़ी दे रही है ? मेरा कन्सट्रक्टीव प्रोपोजल यह है कि सबसे पहले एक रुपया के कट का जो मोशन है उसे कबूल कर लिया जाय जिससे सरकार समझ जाय कि वह जिस तरह चाहें फजूल खर्ची नहीं कर सकती; क्योंकि ऐसा करना सरकार को तम्बीह करना होगा जो बहुत जरूरी है जिससे सरकार आइन्दे इस तरह की फजूल खर्ची न करे और ऐसे ऐसे खर्चों की रकम की इस हाउस से मंजूरी पा जाने का अनुमान न करे। यह एक प्रिंसीपल की बात है न कि सरकार के प्रेसटीज की। इस वक्त हमलोगों को कम से कम खर्च करना चाहिये तो कोई वजह नहीं है कि इस गलत डिमांड को हमलोग पास करें। सरकार को सिर्फ यही करना चाहिये कि इन नौ गाड़ियों को पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज से छीन ले और उन्हें स्टाफ कारस् की शक्ल में हर जिला में एलौट कर दे। अगर पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज चाहें तो स्टाफ कारस् यूज कर सकते हैं। तीसरी बात यह है कि इस डिमांड के पास होने के पहले सरकार एक स्टेटमेंट हाउस के सामने रखे कि हर एक पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी ने हर महीने कितना टी० ए० ड्रॉ किया है, और किन-किन ऑफिशियल कामों के लिये वे दौरे पर गये हैं। जब तक सरकार इन फिगर्स को हाउस के सामने नहीं रखे तब तक यह डिमांड मंजूर नहीं किया जायेगा।

*श्री बंदीराम ओरांव—अध्यक्ष महोदय, आज-कल बिहार स्टेट की हालत सोचनीय है। यहां भूखमरी है और हमारी आर्थिक दशा भी बहुत खराब है। ऐसी अवस्था में किसी प्रकार की फजूल खर्ची करना गुनाह है। जिस खर्च के विषय में अभी बहस चल रही है वह वाजिब खर्च नहीं समझा जा सकता और इस तरह की फजूलखर्ची करना इस संकट काल में सरकार को शोभा नहीं देता है।

श्री इगनेस बेक—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अमीन साहब की बातों की ताइद करता हूं। मैंने एक सुझाव भी इस विषय पर दिया है। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि हमलोग बराबर कहते आये हैं कि सरकार अपने खर्च को घटावे और फजूल खर्ची

*माननीय सदस्य ने भाषण संशोधित नहीं किया।

बन्द करे, लेकिन कोई असर हमलोगों की बातों का सरकार पर नहीं होता है। ऑनरेब्ल मिनिस्टर्स की गाड़ियों के टायर और ट्यूब्स पर बहुत खर्च बढ़ गया है इसलिये अडिशनल रकम चाहिये। इसका नतीजा यह होगा कि देखा-देखी में पालियामेंटरी सेक्रेटरीज के लिये भी यही सवाल उठेगा। पब्लिक मनी को इस तरह खर्च किया जा रहा है कि मालूम पड़ता है कि मुफ्त का रुपया है। पालियामेंटरी सेक्रेटरीज कोई इस प्रकार का सरकारी काम नहीं करते हैं जिसके लिये उन्हें सरकारी गाड़ी मिलनी चाहिये। यह बिल्कुल फजूलखर्ची है और इसके बिना बेहतरीन काम हो सकता था। आपको हर मद में खर्च घटाना चाहिये। अन्त में मैं फिर अमीन अहमद साहब की बातों की ताइद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि हमलोगों की बातों का सरकार ख्याल करेगी।

[अन्तराल]

*श्री मुहम्मद अब्दुल गनी—जनाब स्पीकर साहब, मैं शुरू में ही यह कह देना चाहता हूं कि जितने पालियामेंटरी सेक्रेटरीज हैं, वे सब के सब मेरे दोस्त तो जरूर हैं, लेकिन असूल के ताल्लुक मेरी जो राय है उसे कहने के लिये मजबूर हूं, और जो कुछ मुझे कहना है इसके सम्बन्ध में कह देना चाहता हूं। आपको याद होगा कि हाउस में जब मैं आया तो शुरू में ही इस चीज को गवर्नमेंट के सामने रख दिया कि पालियामेंटरी सेक्रेटरीज में रुपये तो काफी खर्च होते हैं, लेकिन उनसे काम कुछ नहीं लिया जाता है। अगर उनलोगों को काम दिया जाय तो मुझे कोई एतराज नहीं है। उनके लिये मोटर की खरीदारी होती है। नौ पालियामेंटरी सेक्रेटरीज हैं, अगर उनसे काम लिया जाय तो डिपार्टमेंट का बहुत काम हो सकता है। वे नौ डिपार्टमेंट के चार्ज ले सकते थे। अगर यह कहा जाय कि उनमें काम करने की सलाहियत या कपेसिटी नहीं है तो मैं कहूंगा कि इन्सान में काम करने की शक्ति कम या बेशी होती ही है और काम करने पर वह शक्ति बढ़ती है, मगर मैं हुकूमत की तवज्जह इस ओर ले जाना चाहता हूं—

I am speaking subject to correction.

कि सिर्फ स्कूल के ओपेनिंग सेरेमोनी और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में ज्यादा हिस्सा लेने के सिवाय और कोई काम वे इस वक्त नहीं कर रहे हैं। अगर उन पर स्टेट का रुपया खर्च होता है तो स्टेट को उससे फायदा मिलना चाहिये। आपका खर्च बहुत बढ़ गया है और तीसरे सप्लीमेंटरी डिमांड को मिला कर देखा जाय तो पता चलेगा कि करीब १९५०-५१ में ३६ करोड़ ६९ लाख रुपया तक आप पहुंच चुके हैं। चाहे आप इस खर्च को बन्द कीजिए नहीं तो उनके जिम्मे कोई काम सुपुर्द करके इस खर्च को जस्टीफाई कीजिए। बगैर काम दिये हुए अखराजात को बढ़ाना ठीक नहीं है।

माननीय डा० अनुग्रह नारायण सिंह—जनाब सदर, अमीन अहमद साहब ने जो तकरीर की है उसका विस्तारपूर्वक जवाब देने की जरूरत नहीं है। यदि पालियामेंटरी सेक्रेटरीज न रहें तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। मगर आज चार वर्ष से ये हैं, इसलिये आज कोई सवाल उठाने की जरूरत नहीं है।

*माननीय सदस्य ने भाषण संशोधित नहीं किया।

अब रही बात कि वे क्या काम करते हैं? मैं आपको इतमिनान दिलाता हूं कि उनके जिम्मे काफी काम है। जो चाहते हैं वे टूर करते हैं और जो नहीं चाहते हैं उन्हें टूर करने के लिये मजबूर नहीं किया जाता है। एक पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी के मातहत शरणार्थियों का काम है और उन पर खास हिदायत रहती है कि जहां तक हो सके वे सभी शरणार्थी कैम्प में जायं और वहां की हालत को देखें। दूसरे-दूसरे पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज टूर किया करते हैं और उनके टूर से फायदा भी होता है। इरिगेशन के पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी यदि बहुत टूर नहीं किया करते तो जो धान की फसल थोड़ी-बहुत बच गयी, उसमें भी नुकशान पहुंचता। आप शायद इस बात को नहीं जानते हैं कि वे रात और दिन को अलग न समझ कर घूमते रहें, जिससे बहुत फसल बच गयी। इस तरह से और-और पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज काम करते रहते हैं। मैं सब की तरफ से टूर डायरी पेश नहीं कर रहा हूं और न करना चाहता हूं। वे रिस्पौंस्विल आदमी हैं और स्टेट की खिदमत करने के लिये हमेशे तैयार रहते हैं। अब माइलेज का सवाल उठाना और इन्सपेक्शन नोट हाउस के सामने रखना इत्यादि छोटी-छोटी बातों का जिक्र नहीं होता तो बेहतर था मगर आपका अख्तियार है नुक्ताचीनी या आलोचना करने का और उस पर किसी को एतराज नहीं हो सकता है।

अब रही बात मोटर कार के बारे में। चार वर्ष से उनको मोटर कार मिलती आ रही है, तो असूलन मोटर कार मिलने में कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल इकनॉमी का रहा यानी जिस स्टेज में उन्हें मोटर कार दी गयी थी उस स्टेज में यह चीज देना जरूरी था या नहीं। मैं समझता हूं कि उस स्टेज में जरूरी था। अगर उनकी पुरानी मोटर कार को बदल कर नयी मोटर कार ली गयी तो पुरानी मोटर कार से भी काफी रुपये मिले। मैं समझता हूं कि यह अच्छा हुआ कि मोटर कार बदलने का काम उस वक्त कर लिया गया नहीं तो खर्चा और ज्यादा हो जाता। अगर उनको नयी कार मिली तो उसके एवज में पुरानी कार सरकार के पास आ गयी और उन कारस् को नीलाम कराकर तीस हजार रुपया, सरकार के खजाने में मिसलेनियस हेड पर जमा हो गया। सरकार के यहां कायदा यह है कि जितने रुपये खर्च होते हैं उनको एक हेड में रखा जाता है और जितनी आमदनी हुई उसको दूसरा हेड में रखा जाता है। कायदा यह नहीं है कि जो आमदनी हुई उससे जो खर्च हुआ उसको घटा कर बाकी जो बचे उसे बजट में दिखाया जाय। हमलोगों का तजर्बा यह है कि यदि पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज को काम दिया जाय तो वे काम जरूर करेंगे।

स्टाफ कार के बारे में भी बहुतसी बातें कहीं गयी है। स्टाफ कार जिला आफिसर के मातहत रहती है। उत्तर बिहार में स्टाफ कार के बिना काम करना मुश्किल है; क्योंकि वहां अपनी कार ले जाने में बहुत दिक्कत है। दक्षिण बिहार में भी जिला आफिसर के हुक्म के मुताबिक स्टाफ कार दी जाती है। आप बजट के अन्दर इस मद पर खर्चा मंजूर किया है इसलिये उस खर्च को मैंने एंटीसीपेट किया तो क्या गुनाह

किया। हां, सलाह या डाइरेक्शन देना या आलोचना करना आपका काम है और आपने ठीक ही किया है। मुझे भी जो कुछ जवाब देना था वह दे दिया। अब इससे ज्यादा मुझे कुछ कहना नहीं है।

श्री सैयद अमीन अहमद—जनाब सदर, मेरे दोस्त फाइनैन्स मिनिस्टर साहब ने फरमाया कि पालियामेंटरी सेक्रेटरीज को टूर करने की जरूरत नहीं है, मगर वे......

माननीय डाक्टर अनुग्रह नारायण सिंह—अगर आप ऐसा समझते हैं तो आपको कहने का हक है कि पालियामेंटरी सेक्रेटरीज के टूर से फायदा नहीं हो रहा है। मैंने तो २-४ मिसाल दिखला दी कि उनके टूर करने से लाखों मन धान की पैदावार हुई है। अगर वे टूर नहीं करते तो पैदावार में कमी हो जाती। उनको टूर करने की जरूरत नहीं है ऐसा तो मैंने नहीं कहा है।

श्री सैयद अमीन अहमद—आपने जो कहा उसको मैंने नोट किया। मेरे कहने का मतलब यह था कि आपने कोई कायदा ऐसा नहीं बनाया है जिस कायदे के रूह से उन लोगों को टूर करने की जरूरत हो। अगर वे चाहते हैं तो टूर करते हैं, नहीं तो नहीं। सवाल यह है कि मेरे दोस्त ने मान लिया है कि उनलोगों के लिये टूर करना ऑपशनल है; ऑबलिगेटरी नहीं है।

माननीय डा० अनुग्रह नारायण सिंह—किसी के लिये ऑबलिगेटरी नहीं है।

श्री सैयद अमीन अहमद—टूर करने के लिये आपके यहां यह कायदा बना हुआ है कि टूरींग ऑफिसर महीने में इतने दिन तक टूर करें।

जब टूर करना चाहते हैं तो टूरिंग अफसरों की नकल कीजिये। ऑफिशीयल ड्यूटी में टूर करना शामिल नहीं है। उनकी ख्वाहिश टूर करें उनकी ख्वाहिश टूर न करें। अभी तक हुकूमत ने कोई खास तौर से ऐसा काम उनको सुपूर्द नहीं किया है जिसके लिए टूर करना जरूरी हो। उनके लिए कोई हिदायत नहीं है। उनका काम सिर्फ यह है कि लेजिस्लेचर में मदद करें। लेजिस्लेचर के बाहर कोई ड्यूटी उनकी नहीं है। लेकिन आपने उनको कोई ऐसा काम सुपूर्द नहीं किया है जिससे टूर करने की जरूरत हो।

माननीय अध्यक्ष—जब चाहेंगे तो सुपूर्द कर सकते हैं।

श्री सैयद अमीन अहमद—तब तो खुशी की चीज होगी। जब चाहें करें जब चाहें न करें। आपने इरिगेशन का तसकिरा किया है। मैं पूछता हूं कि क्या उनको कोई पावर है कि जाकर इन्सपेक्ट करें या कलक्टर पर कोई ऑडर्स पास करें। कोई पावर उनको नहीं है।

माननीय श्री रामचरित्र सिंह—ऐसा कोई ऐक्ट है जो उनको ऐसा करने से रोके?

श्री सैयद अमीन अहमद—मुझे अफसोस है कि मेरे दोस्त इरिगेशन मिनिस्टर होकर भी नहीं जानते हैं। हर ऐक्ट में है कि कलक्टर्स, एस० डी० ओ० इन्सपेक्ट करें लेकिन ऐसा कहीं भी लिखा हुआ नहीं है कि पालियामेंटरी सेक्रेटरीज भी कोई सख्श हैं जिनका काम इन्सपेक्ट करने का है।

माननीय श्री रामचरित्र सिंह—कन्सटीच्यूशन में पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज की भी जगह है। आपको गलतफहमी है कि पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी सिवाय यहां बोलने के कोई काम नहीं कर सकते हैं।

श्री सैयद अमीन अहमद—उनको एक्जीक्यूटिव आर्डर्स पास करने का कोई पावर नहीं है। अगर इन्सपेक्शन करने जाते हैं तो विजीटर्स की हैसियत से जाते हैं। डिस्ट्रीक्ट ऑफिसर्स को पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी आर्डर्स नहीं दे सकता है। कोई डिस्ट्रीक्ट ऑफिसर मजबूर नहीं है कि पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी के इन्सट्रक्शन्स पर कुछ करे। अगर वाकई उनको टूर करना मुफीद है तो क्यों नहीं उनको ऑफिशियल स्टेटस देते है, क्यों नहीं एकजीक्यूटीव इन्सट्रक्शन्स इशू करते हैं कि ये भी इन्सपेक्टिंग ऑफिसर्स रहेंगे, टूर करेंगे इन्सट्रक्शन्स देंगे।

माननीय अध्यक्ष—जब उनको गाड़ी दी जाती है तो उनका दायित्व हो जाता है कि वे कुछ काम करें।

श्री सैयद अमीन अहमद—पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी का लफ्ज ही बतला रहा है पार्लियामेंट के अन्दर का काम करें। अगर पार्लियामेंट से बाहर काम लेना रहता तो पार्लियामेंटरी का लफ्ज हटा दिया जाता। एक बार हमने अपने दोस्त से तसकिरा किया कि पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज जो हैं उनको पार्लियामेंटरी काम तो कुछ नहीं है। पार्लियामेंट के अन्दर शायद ही कभी हमें पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी की जुबान से कुछ सुन लेने का मौका मिलता है। पार्लियामेंटरी वर्क उनको कुछ नहीं है। मगर अनपार्लियामेंटरी वर्क बहुत ज्यादा है। वह यह है जिसको हमने पहले कह दिया है।

माननीय अध्यक्ष—"अनपार्लियामेंटरी" लफ्ज इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। "नन-पार्लियामेंटरी" कहिए।

श्री सैयद अमीन अहमद—तब तो लतीफा नहीं होगा। पार्लियामेंटरी वर्क इनका कुछ नहीं है। इनका काम सिर्फ पार्टी को मजबूत करना है, जिसका सरोकार पार्लियामेंटरी वर्क से कुछ नहीं है।

जनाब सदर, मेरे दोस्त ने कहा है कि वे इरिगेशन का काम अच्छी तरह से देखते हैं और जिसकी वजह से फसल बच गयी। शायद मेरे दोस्त यह भी कहना चाहते थे कि कितने लोगों को स्टारवेशन डेथ से बचाया। अगर पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी नहीं जाते तो स्टारवेशन डेथ हो जाता। अगर स्टारवेशन डेथ से बचाया तो उन्होंने बचाया। अगर ऐसी बात है तो उनको शुक्रिया की एक गाड़ी नहीं दो गाड़िया देने चाहियें। मेरे दोस्त ने एक और पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी का तसकिरा किया है जो रिफ्युजीज के चार्ज में हैं। इसके लिए एक सेक्रेटरी है, एक अडिशनल सेक्रेटरी और एक कमिश्नर मौजूद हैं। इसके अलावे मिनिस्टर साहब मौजूद हैं। तो यह कह सकते हैं कि ये ऑफिसर्स कुछ नहीं करते हैं या जो कुछ करते हैं वह कम है इसलिए वहां पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी की जरूरत है। ऑफिशीयल तरीका यह है जो सेक्रेटरी का नोट होगा वह मिनिस्टर के पास जायेगा

अगर कोई दूसरा कायदा निकला हो तो मुझे इसका पता नहीं है। अगर यह प्रोसिड्योर हो कि सेक्रेटरी का नोट थ्रू पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी जाय तो यह गलत है।

सरदार हरिहर सिंह—१९३७ में होता था तो क्या वह सही था?

श्री सैयद अमीन अहमद—१९३७ में भी गलत था और आज भी गलत है। मेरे ख्याल में रिफ्युजीज के काम के लिए इसकी जरूरत नहीं है कि पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी बराबर जाया करें और देखा करें, जब इतने अफसर सिर्फ इसी काम को अन्जाम देने के लिए मौजूद हैं। मेरे दोस्त ने कहा है कि पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज के लिए कितनी गाड़ी बदली गयी, कितनी चीजें रद्दी समझी गयीं, इन सब चीजों को हमलोगों को जानने की जरूरत नहीं है। जब आप डिमांड पेश करते हैं तो सवाल यह उठता है कि आपने क्यों नहीं रिपेयर करके मसरफ में लाने की कोशिश की।

आप कहते हैं कि हमलोगों को इसको जानने का हक नहीं है। जब आपका डिमांड हाउस में आया है और हमलोगों से पास कराने के लिए आया है तो बिना जाने हम कैसे इसे पास कर सकते हैं। हमलोगों का यह हक है कि हम यह जानें कि दो वर्ष के बाद ही इसे क्यों बदलने की जरूरत हुई। इन गाड़ियों ने इन दो वर्षों में कितने मील की यात्रा की वगैरह २। क्या इनको मरम्मत करके काम नहीं चलाया जा सकता था? मेरा ख्याल है कि एक हजार या दो हजार रुपये इन पर खर्च करने से ये बहुत अच्छी सर्विस दे सकती थी।

जनाब सदर, फाइनेंस मिनिस्टर का काम था—उनके डिपार्टमेंट का काम था कि वह ऑब्जेक्ट करता कि कितने हजार मिल आपकी गाड़ी चली है? अगर आपने या आपके डिपार्टमेंट ने ऐसा नहीं किया तो हमलोगों का काम है कि आपकी मदद करें। आपको इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए कि कौन गाड़ी कितने हजार मिल चली है। अगर आप इस वक्त नहीं बतलाना चाहते हैं तो एप्रोप्रियशन बिल लाते वक्त आपको बतलाना होगा कि क्यों नहीं ओवरहॉलिंग करके काम चलाया जा सकता था? आपके जरिए मैं ट्रेजरी बेंच को नोटिस देता हूं कि एप्रोप्रियशन बिल लाते वक्त आपको हाउस में इस बात को रखना होगा।

दो पार्लियामेंटरी सेक्रेटरियों की गाड़ी बदली गई है। ये दोनों ही चूंकि डिप्रेस्ड क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं इसलिए इनको सिर्फ पांच-पांच हजार की गाड़ी खरीदी गई लेकिन जो हाई क्लास के पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी थे उनको १२ हजार की गाड़ी खरीदी गई।

मेरे दोस्त ने फरमाया है कि स्टाफ कार सिर्फ एक ही रहती है इसलिए दिक्कत है। आप सही कहते हैं लेकिन मैं कहता हूं कि स्टाफ कार आप एक जिले में १० भी रखें तो हमलोगों को कोई एतराज नहीं। उससे सरकार का कोई नुकसान नहीं है। आप उनका हिसाब मंगा कर देखें तो पता चलेगा कि उनसे ज्यादा लाभ नहीं तो नुकसान नहीं है। उनसे फायदा ही होता है। इसलिए आप स्टाफ कार की जितनी जरूरत हो, मंगा कर रखें

और जिस अफसर या पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी को जरूरत हो वह उससे काम लें। पटना और रांची आपका हेडक्वाटर हैं यहां आप काफी स्टाफ कार रख दें और जो अफसर इस्तेमाल करें उसको सफर भत्ता नहीं दे। अगर आप सफर भत्ता भी देंगे तो वह आपके खजाने में ही जमा करेगा इसलिए दो-दो वर्षों में कार का बदलना ठीक नहीं है। हमारे दोस्त ने बतलाया है कि सात गाड़ियों के बदलने में ३० हजार रुपया मिला है, यानी एक गाड़ी में साढे चार हजार रुपया मिला और आपने उसे खरीदा साढे बारह हजार में, यानी ८ हजार का घाटा हुआ। तो मैं पूछना चाहता हूं कि आठ हजार का घाटा तो इस तरह हुआ और इसके अलावे आपको सफर भत्ता भी देना पड़ा। हमारे दोस्त ताहीर साहब कहते हैं कि पार्लियामेंटरी सेक्रेटरियों को सफर भत्ता नहीं मिलता है। मुझे पता नहीं कि यह कहां तक ठीक है। मिनिस्टर साहब फाइनल रिप्लाई में इसका जवाब दें। हमारे दोस्त बराबर स्टेट रेवन्यू को बचाना चाहते हैं। उनको इससे फायदा उठाना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष—आपका १० मिनट हो गया।

श्री सैयद अमीन अहमद—हमारा सबसे बड़ा एतराज यही है कि हमारे दोस्त ने हमारी बातों का जवाब नहीं दिया। अगर आपको गाड़ी बदलनी थी तो जेनरल एलेक्शन के बाद बदलते। उस वक्त नये पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी आते और वे लोग जैसा असूल कायम करते काम होता। लेकिन आपने आखिरी वक्त इनके लिए कार क्यों खरीद डाली? इसका जवाब गवर्नमेंट के पास नहीं है।

माननीय अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि:

the provision of Rs. 78,403 for "Ministers—Parliamentary Secretaries—Contingencies—Non-contract" be reduced by Re. 1.

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

दो माननीय मंत्रियों के लिये मोटर खरीदने में भारी खर्च।

HEAVY EXPENDITURE OVER THE PURCHASE OF TWO CARS FOR THE TWO HON'BLE MINISTERS.

*Dr. PURNA CHANDRA MISHRA : Sir, I beg to move :

That the provision of Rs. 42,000 for "Ministers—Contingencies—Non-contract" be reduced by Re. 1.

रांची मेडिकल कॉलेज रुपया नहीं मिलने की वजह से बन्द हो गया लेकिन आज मोटर खरीदने के लिये पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज और मिनिस्टर्स ....

माननीय अध्यक्ष—पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज की बात यहां नहीं है।

डा० पूर्णचन्द्र मिश्र—हमारे कहने का मतलब यह है कि सब काम के लिये रुपया आता है लेकिन रांची मेडिकल कॉलेज के लिये रुपया क्यों नहीं है जिसके कारण वह नहीं हो सका।

---

*माननीय सदस्य ने भाषण संशोधित नहीं किया।